International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 5, May 2018
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

बिहार में महिला मानवाधिकार के सामाजिक आयामों की समीक्षा

डॉ0 संजय पासवान
आर0 जी0 एन0 एफ0 (जे0 आर0 एफ0)
समाजशात्र विभाग
ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

महिलाएँ किसी भी समाज, किसी भी सभ्यता किसी भी संस्कृति या देश की आबादी का आधा हिस्सा होती हैं। चूँकी देश के विकास में पुरूषों की भागीदारी में महिलाओं का त्याग, तपस्या, बलिदान और योगदान जुड़ा रहता है। हम देखते भी हैं कि जन्म से मृत्यु तक महिलाएँ या तो यंत्रणएँ झेल रही होती है या फिर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती रहती हैं। कितनी मानवता को तो हमने यूँ ही मार दिया, क्योंकि वह कन्या भ्रूण थी या फिर छुई–मुई नन्ही सी लड़की। विंडबना यह है कि हमारा समाज आज तक उसकी सिसकियों से महरूम है और उसे जन्म देने वाली माँ भी कहीं न कहीं इस पूरे प्रकरण को एक त्रासदी मान अपने पीछे छोड़ देती है। पर छुटी हुई चीख समाज के बुनियादी ढ़ाँचे में हस्तक्षेप कर उसे रौंद देती है। पुरूषों को जन्म देनेवाली, उसका पालन करने वाली और उसमें संस्कारों का बीजारोपण करनेवाली माँ एक भिखारिन बन हर वक्त अपना अधिकार माँगती है।[2]

प्रायः हर धर्म में पुरूष के कद की प्रधानता है। शायद ही ऐसा कोई धर्म है जिसे महिला ने बनाया हो। क्या हमारी ईश्वरीय भक्ति कोई पुरूष है और उसकी जितनी भी संतानें हुई चाहें वह गौतम बुद्ध, मुहम्मद पैगंबर या राम, शिव, विष्णु, और ब्रह्मा। सब के सब पुरूष ही क्यों है? क्या इसके पीछे मात्र समाज की सोच नहीं इंगित करती कि सबसे परम सत्य की तलाश में भी हम सिर्फ पुरूष की अगुवाई करते हैं? क्योंकि सदियों से यही होता आया है, जूड़ो–क्रिश्चिन समाज में भी महिला को एक स्कोंपियों यानी बिच्छू का दरजा दिया है, जो हमेशा डंक मारने को उद्विग्न रहती है। 'पागन अरब' ने उसमें एक शैतान की रस्सी का रूप देखा, जो कभी भी फंदा बन सकती थी और भारतीय संस्कृति में तो उसे एक समाजिक कुरीति जिसे अपने पति को चिता के साथ ही जल जाना चाहिए।

यह सत्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयास और उसके अनेक सम्मेलनों के कारण महिला के मानव स्तर और उसके अधिकारों में काफी सार्थक प्रयास हुए है। उसी का परिणाम है कि 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष महिला दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारत में महिला मानवाधिकारों को मूल अधिकारों के साथ जोड़ा गया है तथा महिलाओं के लिए विस्तृत अधिकारों की विवेचना की गई है तथा इस संदर्भ में निम्नलिखित संविधान में विभिन्न अधिनियमों का अधिकार है।

1. **सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 :–** इस अधिनियम के अन्तर्गत सती कर्म करने के लिए कारावास और जुर्माना दोनों की सजा का प्रावधान है।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 5, May 2018
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

2. **दहेज निवारण अधिनियम 1961 (संशोधित 1986)** :– इसके अंतर्गत दहेज लेने और देने के लिए दंड की व्यवस्था की गई है तथा दहेज पर 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास का प्रावधान है।
3. **अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 (संशोधित 1986)** :– इसके अंतर्गत व्यवस्था है कि संदिग्ध या अपराधी महिला से पूछताछ, तलाशी एवं गिरफ्तारी केवल महिला पुलिस या महिला समाजिक कार्यकर्त्ता द्वारा की जाएगी।
4. **बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1924 (संशोधित 1976)** :– इस अधिनियम में 1976 में संशोधन कर विवाह की आयु लड़के के लिए 21 वर्ष तथा लड़की के लिए 18 वर्ष की गई तथा अपराध को संज्ञेय बना दिया गया।
5. **औशधियों द्वारा गर्भ गिराने से संबंधित अधिनियम 1971** :– इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रारंभिक रूप से महिलाएँ विशेषज्ञ के माध्यम से गर्भ गिरा सकती है, संबंधित कागजात गुप्त रखे जायेंगे।
6. **स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिबंध) अधिनियम 1986** :– इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी महिला को इस प्रकार चित्रित नहीं किया जाएगा, जिससे उसकी सार्वजनिक नैतिकता को आघात पहुँचे। इस अधिनियम में फिल्म सेंसर बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है जो ऐसी फिल्मों पर रोक लगाएगा जिनमें महिलाओं की मर्यादा भंग होती हो।
7. **विशेष विवाह अधिनियम 1954** :– इसमें महिलाओं को पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार प्रदान किया गया है।
8. **प्रसव पुर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994** :– इसमें गर्भावस्था में बालिका भ्रण की पहचान कराने पर रोक लगाई गई है।
9. **73वां एवं 74वां संविधान संशोधन 1993** :– इस अधिनियम द्वारा महिलाओं को त्रिस्तरीय पंचायतों में एक तिहाई आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है।
10. **समान परिश्रमिक अधिनियम 1976** :– इसके अंतर्गत समान कार्य हेतु महिलाओं को भी पुरूषों के समान परिश्रमिक देने का प्रावधान किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसम्बर, 1948 को मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषण की। प्रत्येक वर्ष 10 दिसम्बर को ''अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस'' के रूप में विश्व के सभी देशों मं मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में पुरूषों एवं महिलाओं को समान अधिकार प्रदान किये गये है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि सभी व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र है। इन अधिकारों को प्राप्त करने में लोगों के बीच नस्ल, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म राजनीति, राष्ट्रीयता अथवा सामाजिक उत्पत्ति, किसी भी स्तर पर भेदभाव नहीं किया जायेगा। मानव अधिकारों की प्रथम सार्वजनिक घोषणा के 70 वर्षों बाद संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1968 को ''अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार वर्ष'' घोषित किया।इसी वर्ष तेहरान में मानव अधिकारों पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। तेहरान सम्मेलन के 25 वर्षों बाद 1993 में, वियना में एक विश्व सम्मेलन आयोजित

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 5, May 2018
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

कियाय गया। इस सम्मेलन में मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए कई योजनाएँ बनायी गई।

भारत के संविधान में भी सभी नागरिकों को समान रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की व्यवस्था है। सरकार की मान्यता है कि राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ आधार तब ही प्रदान किया जा सकता है जब समस्त नागरिकों में भाषा, जाति, धर्म, लिंग एवं क्षेत्रीयता की संकीर्णता समाप्त हो जायेगी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम मध्य प्रदेश राज्य में 6 जनवरी, 1992 को देश कामहला मानव अधिकार आयोग गठित करने का संकल्प लिया गया। इसके पश्चात 1993 में भारत सरकार द्वारा ''मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम'' बनाया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत 13 सितम्बर, 1995 को वर्तमान ''मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग'' का गठन किया गया। आयोग का मुख्यालय भोपाल में रखा गया है।[4]

मानव अधिकारों तथा भारतीय संविधान से प्राप्त अधिकारों के बावजूद मानव मूल्यों में सतत् पतन के कारण सामाजिक जीवन की सुख–शांति विश्रृंखलित हो उठी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 70 वर्षो के बाद भी संविधानिक प्रावधानों को पर्याप्त रूप से लागू नहीं किया गया। बाजाए इसके इन्हें शोषण और दुर्व्यहार झेलना पड़ता है और अक्सर समाज के शक्तिशाली तत्व इनके अधिकारों का उल्लंघन करते है। यह एक कड़ा सच है कि प्राचीन काल से ही हरेक समाज में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और इन्हें हमारे पुरूष प्रधान समाज में पुरूषों के हाथ की कठपुतली माना गया है। महिला अपनी निजी पहचान से वंचित है और इसे अक्सर पिता, पति या पुत्र की संपत्ति के रूप में देखा गया है। इसे कभी भी अपने पति द्वारा जीवन साथी के रूप में नहीं देखा जाता बल्कि इसे तो प्रयोग की जाने वाली वस्तु माना जाता है। इसी वजह से अक्सर पुरूष प्रतिपक्षों की वजह से इसे घोर अत्याचार और अपराधों का सामना करना पड़ता है। ऐसी हिंसा और शोषण से महिलाओं को बचाने के लिए और इनके वैध अधिकारों के संवर्द्धन के लिए भारत सरकार ने पहले विविध दंड संबंधी सिविल और श्रम कानून बनाए थे, जिन्हें सामाजिक विधान कहते है। इन सामाजिक विधानों के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करके सही मायने में महिलाओं का आत्म विकास संभव है और भारत जैसे महान देश के नागरिक होने के नाते और महिला के रूप में इनके लक्ष्यों और आकांक्षाओं को भली–भाँति पूरा भी किया जा सकता है।[5]

बिहार में डायन बताकर महिला को पीटा जाना, मल पिलाना आम घटना की तरह घटित हो रही है जिससे मानवता को शर्मसार किया जा रहा है। मानवता को सर्मसार करने वाली यह घटना बिहार की राजधानी से सटे मनेर की है। कुछ लोगों ने अदलचक डुमरिया के पछियारी टोला में रहने वली एक वृद्धा को डायन बताकर सरेआम पीट डाला और उसके चेहरों पर चूना लगाया, हाथों में रस्सी बांधकर सिर के बाल काटे तथा गाँव भर में घुमाया। यह मामला 4 अप्रैल 2008 का है। इसे लेकर पूरे गाँव के अलावा मनेर नगर पंचायत में सनसनी फैल गई। महिलाओं के साथ इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार की घटना से पूरी मानवता को शर्मसार कर रही है।[6]

राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़ों की माने तो बिहार में महिलाओं पर अपराध लगातार बढ़ रहे है। बढ़ते अपराध पर आयोग ने चिंता जताई है और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है अपराधिक मामलों मे दहेज, हत्या, उत्पीड़न, बलात्कार और दूसरे

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 5, May 2018
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

प्रकार के मामले है। दहेज हत्या जैसे अपराध जहाँ पिछले चार सालों से लगातार बढ़े है, वहीं बलात्कार और दहेज उत्पीड़न जैसे मामलों का भी यही हाल है। यह भी अजीब इत्तेफाक है कि महिलाओं के खिलाफ घरेलू अपराध में पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे और महिलाओं के प्रति सबसे अधिक संवेदनहीन कहे जा सकने वाले प्रदेशों में भासन की बागडोर सुशासन बाबू के पास थी।

भारतीय संविधान लिंगभेद को नहीं मानता है। इसके अलावा दहेज, सती, घरेलू उत्पीड़न व यौन–शोषण आदि के विरोध में सख्त नियम उपलब्ध है। संविधान विधवा, उत्पीड़ित स्त्रियाँ, अविवाहित स्त्रियाँ, अवयस्क माँएँ, अपाहिज महिलाएँ आदि के मानव अधिकार की रक्षा का दावा करता है। परन्तु सच्चाई यह है कि नियम व प्रावधानों के होते हुए महिला विरोधी कार्य उत्पीड़न व उपेक्षा दूसरे राष्ट्रों के समान भारतीय समाजों के खासकर बिहार में होती रहती है। नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं और परिवारों के भीतर–बाहर, जन्म के पहले से लकर मृत्यु के बाद तक स्त्री के प्रति लिगभेद व्यवहृत होती है।[8]

साक्षात्कार के दौरान उत्तरदात्रियों से अनुसूची के तहत कुछ पूछे गए, उन सवालों का जबाव उत्तरदात्रियों ने बिल्कुल सटीक दिए जिसका विश्लेषण तालिकाओं के माध्यम से किया जा रहा है।

तालिका – 3.1

क्या महिलाओं को पुरूषों के समान बराबरी का हक व अधिकार प्राप्त हो रहा है?

क्र. सं.	डम्र समूह स्तर	अभिमत				कुल
		हाँ		नहीं		
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
1.	18–25 वर्ष	60	20.00	–	–	60(20)
2.	26–33 वर्ष	45	15.00	–	–	45(15)
3.	34–41 वर्ष	135	45.00	–	–	135(45)
4.	42–49 वर्ष	45	15.00	–	–	45(15)
5.	50 वर्ष से अधिक	15	05.00	–	–	15(05)
6.	कुल	300	100.00	–	–	300(100)

तलिका 3.1 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि शत–प्रतिशत उत्तरदात्रियां मानती हैं कि महिलाओं को पुरूष के समान बराबरी का हक व अधिकार प्राप्त हो रहा है। शत–प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने यह भी स्पष्ट किया कि सैद्धांतिक तौर पर पुरूष के समान बराबरी का हक व अधिकार प्राप्त हो गया है परन्तु व्यावहारिक तौर पर अभी भी बराबरी का अधिकार मिल नहीं पाया है।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 5, May 2018
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

तालिका – 3.2
क्या महिलाओं को घरेलु हिंसा का विरोध करना चाहिए?

क्र. सं.	डम्र समूह स्तर	अभिमत				कुल
		हाँ		नहीं		
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
1.	18–25 वर्ष	60	20.00	–	–	60(20)
2.	26–33 वर्ष	45	15.00	–	–	45(15)
3.	34–41 वर्ष	135	45.00	–	–	135(45)
4.	42–49 वर्ष	45	15.00	–	–	45(15)
5.	50 वर्ष से अधिक	15	05.00	–	–	15(05)
6.	कुल	300	100.00	–	–	300(100)

तलिका 3.2 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि शत–प्रतिशत उत्तरदात्रियां मानती है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा का विरोध अवश्य करना चाहिए। पुरूषों द्वारा घरेलू हिंसा करने पर महिलाएँ प्रतिरोध अगर नहीं करती हैं तो पुरूषों का मनोबल बढ़ता जात है अतः महिलाओं को हर हाल में घरेलू हिंसा का विरोध करना चाहिए। चूँकि महिला मानववाधिकार घरेलू हिंसा के खिलाफ है इस संदर्भ में नये सख्त कानून भी बनाये गए है। उपर्युक्त तालिका को देखने से यह स्पष्ट होता है कि सभी उम्र के उत्तरदात्रियाँ इस बात से सहमत है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा का विरोध करना चाहिए।

तालिका – 3.3
क्या लिंग असमानता की बढ़ोतरी में महिलाओं का हाथ रहा है?

क्र. सं.	डम्र समूह स्तर	अभिमत				कुल
		हाँ		नहीं		
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
1.	18–25 वर्ष	36	12.00	24	08.00	60(20)
2.	26–33 वर्ष	27	09.00	18	06.00	45(15)
3.	34–41 वर्ष	87	29.00	48	16.00	135(45)
4.	42–49 वर्ष	27	09.00	18	06.00	45(15)
5.	50 वर्ष से अधिक	09	03.00	06	02.00	15(05)
6.	कुल	186	62.00	114	38.00	300(100)

तलिका 3.3 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 62 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के अनुसार लिंग असमानता की बढ़ोतरी में महिलाओं का हाथ रहा है। अभी भी हमारे भारतीय समाज में महिलाओं का दृष्टिकोण लड़कों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रहा है। वे सोचती है कि बेटे की बुढ़ापे में साथ देंगे। बेटा तो विवाह होने के बाद पराये घर चली

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 5, May 2018
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

जायेगी। मादा–भ्रूण हत्या भी यही सोच का परिणाम है। अतः लिंग असमानता की बढ़ोतरी में महिलाओं का भी हाथ रहा है।

उक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि 80 प्रतिशत उत्तरदात्रियों में जो 18–25 वर्ष से 34–41 वर्ष उम्र समूह की है, इन उत्तरदात्रियों में 50 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ मानती हैं कि लिंग असमानता की बढ़ोतरी में महिलाओं का भी हाथ रहा है। वहीं 30 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ उपर्युक्त विचारों से सहमत नहीं है। दूसरी ओर 42 वर्ष से 50 वर्ष तथा उसे कुछ अधिक उम्र समूह की जो उत्तरदात्रियाँ है जिसका प्रतिशत 20 है उनमें से 12 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ मानती है कि लिंग असमानता की बढ़ोतरी में महिलाओं का हाथ रहा है। मात्र 08 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ उपर्युक्त विचारों से सहमत नहीं हैं।

तालिका – 3.4

क्या दलित महिलाओं का यौन–शोषण व बलात्कार सवर्ग महिलाओं की अपेक्षा अधिक होता है?

क्र. सं.	डम्र समूह स्तर	अभिमत				कुल
		हाँ		नहीं		
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
1.	18–25 वर्ष	60	20.00	–	–	60(20)
2.	26–33 वर्ष	45	15.00	–	–	45(15)
3.	34–41 वर्ष	135	45.00	–	–	135(45)
4.	42–49 वर्ष	45	15.00	–	–	45(15)
5.	50 वर्ष से अधिक	15	05.00	–	–	15(05)
6.	कुल	300	100.00	–	–	300(100)

सर्वेक्षण के क्रम में उत्तरदात्रियों से यह सवाल पूछा गया कि क्या दलित महिलाओं का यौन–शोषण व बलात्कार सवर्ण महिलाओं की अपेक्षा अधिक होता है? सम्मिलित उत्तरदात्रियों में से शत–प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने जबाब दयिा कि दलित महिलाओं का यौन–शोषण व बलात्कार सवर्ण महिलाओं की अपेक्षा अधिक होता है। अक्सर दलित महिलाओं के यौन शोषण व बलात्कार की घटना होती रहती है। चाहे इसके पीछे कोई भी कारण रहा हो। तालिका 3.4 के अवलोकन से उपर्युक्त तथ्यों का स्पष्टीकरण हो जाता है।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 5, May 2018
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

तालिका – 3.5
क्या महिला मानवाधिकारी रक्षा हेतु समाज के सोच–विचार में बदलाव की आवश्यकता है?

क्र. सं.	डम्र समूह स्तर	अभिमत				कुल
		हाँ		नहीं		
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
1.	18–25 वर्ष	60	20.00	–	–	60(20)
2.	26–33 वर्ष	45	15.00	–	–	45(15)
3.	34–41 वर्ष	135	45.00	–	–	135(45)
4.	42–49 वर्ष	45	15.00	–	–	45(15)
5.	50 वर्ष से अधिक	15	05.00	–	–	15(05)
6.	कुल	300	100.00	–	–	300(100)

तालिका 3.5 में उत्तरदात्रियों से यह सवाल किया गया कि क्या महिला मानवाधिकार की रक्षा हेतु समाज के सोच–विचार में बदलाव की आवश्यकता है? सम्मिलित उत्तरदात्रियों में से शत–प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने जबाव दिया कि महिला मानवाधिकार की रक्षा हेतु समाज के सोच–विचार में बदलाव की आवश्यकता है। चूँकि हमारा समाज पुरूष प्रधान समाज है जहाँ पुरूषों की सत्ता की प्रधानता होती है। बिना पुरूषों के सोच व सहमति से महिला मानवाधिकार की रक्षा नहीं हो सकती है।

तालिका – 3.6
क्या आप महिला आरक्षण को उचित मानती है?

क्र. सं.	डम्र समूह स्तर	अभिमत				कुल
		हाँ		नहीं		
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
1.	18–25 वर्ष	60	20.00	–	–	60(20)
2.	26–33 वर्ष	45	15.00	–	–	45(15)
3.	34–41 वर्ष	135	45.00	–	–	135(45)
4.	42–49 वर्ष	45	15.00	–	–	45(15)
5.	50 वर्ष से अधिक	15	05.00	–	–	15(05)
6.	कुल	300	100.00	–	–	300(100)

सर्वेक्षण के अभ्यन्तर उत्तरदात्रियों से अनुसूची के तहत यह सवाल पूछा गया कि क्या आप आरक्षण को उचित मानती है? सम्मिलित उत्तरदात्रियों में से शत–प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने जबाव दिया कि महिला आरक्षण को वे उचित मानती है। बिना आरक्षण के महिलाओं का कल्याण व उत्थान नहीं हो सकता। आधी आबादी महिलाओं की है परन्तु सभी कार्य क्षेत्रों में उसकी भागीदारी संतोषजनक नहीं है। अतः

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 5, May 2018
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

आरक्षण आवश्यक है। आरक्षण क बल पर महिलाएँ आगे बढ़ सकती हैं। भारत जैसे देश में 33 प्रतिशत आरक्षण बिल वर्षों से संसद में पड़ा है लेकिन वह आरक्षण विधेयक अब तक पास नहीं हो सका है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी उम्र की महिलाएँ वर्तमान दौर में महिला आरक्षण को उचित मानती है।

संक्षेप में, महिलाओं के समाजिक परिस्थिति में दिन–प्रति दिन सुधार के संकेत प्राप्त हो रहे है। महिलाएँ भी महिला मानवाधिकार के प्रति सजग हो रही है। आज प्रायः महिला घर के बाहर काम–काज अर्थात् अर्थोपार्जन हेतु इच्छुक भी है अगर अवसर मिला तो निश्चित तौर पर बाहर जाकर काम कर सकती हैं संवैधानिक प्रावधानों के तहत पुरूषों के समान बराबरी का हक मिलता जा रहा है। यह सच है कि बिहार की ग्रामीण क्षेत्र की अधिकांश अशिक्षित महिलाएँ महिला मानवाधिकार को नहीं समझ पा रही है। अबतक महिला मानवाधिकार के हनन करती है। लिंग असमानता की बढ़ोतरी में महिलाओं का हाथ रहा है। यह सच है कि वर्तमान समाज में बलात्कार व यौन–शोषण की घटनाएँ अधिक हो रही है जिसमें सवर्ण महिलाओं के वनिस्पत दलित महिलाएँ अधिक शिकार होती है।

वर्तमान समाज में महिला मानवाधिकार के प्रति सहृदयता है। अब बाल विवाह नहीं के बराबर होता है अगर होता भी है तो खासकर दलित वर्ग में जहाँ अशिक्षा व गरीबी है। महिलाओं के उत्थान हेतु आरक्षण की व्यवस्था उचित ही है। वर्तमान दौर में पर्दा प्रथा, तीन तलाक, भ्रूण हत्या आदि नही के बराबर देखे जाते हैं। लेकिन आज भी अधिकांश महिलाएँ कुपोषण की शिकार देखी जाती है।

संदर्भ सूची :–

1. महरोत्रा, ममता (2011), महिला अधिकार और मानव अधिकार, ज्ञान गंगा, दिल्ली, पृ0– 15
2. महरोत्रा, ममता (2011), महिला अधिकार और मानव अधिकार, ज्ञान गंगा, दिल्ली, पृ0– 31
3. पाण्डेय, अनुराधा, (2010) महिला सशक्तिकरण, इशिका पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, पृ0– 232
4. पाण्डेय, अनुराधा, (2010) महिला सशक्तिकरण, इशिका पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, पृ0– 234
5. पाण्डेय, अनुराधा, (2010) महिला सशक्तिकरण, इशिका पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, पृ0– 235
6. झा, मिहिर कुमार, (2016), महिलाओं पर अत्याचार : कानूनी समाधान, सृष्टि कल्याण मंच, काली निवास मिश्र टोला, दरभंगा
7. न्याय चक्र, मई 2008, पृ0– 35
8. न्याय चक्र, मई 2008 पृ0– 37
9- प्रमिला, के0 पी0 (2015), स्त्री अध्यन की बुनियाद, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ0– 85